आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
	वाद संख्या–31/2023	
20.07.2023	अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से श्री लल्लू साव एवं अन्य, ग्राम–टोंगरा, पंचायत–कोशी, थाना–हुसैनाबाद, जिला–पलामू Telephonic conference के माध्यम से उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पलामू अनुपस्थित। जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पलामू लगातार दूसरी बार अनुपस्थित रहीं। जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने लिखित रूप से आयोग में सूचना प्रस्तुत की है कि वे अपनी नानी की श्राद्ध कार्यक्रम में सम्मिलित होने के कारण आयोग में उपस्थित नहीं हो पायेंगी। आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पलामू को निर्देश देता है कि वे दिनांक–24.07.2023 को अपराह्न 12.00 बजे आयोग कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें। इस बीच शिकायतकर्ता की शिकायत का निदान भी हो जाना चाहिए, अन्यथा आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी के विरूद्ध कार्रवाई करने हेतु बाध्य होगा। मामले की अगली सुनवाई दिनांक–24.07.2023 को निर्धारित की जाती है। दिनांक–24.07.2023 को रखें। 20.7.23 (शबनम परवीन) सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। (हिमांशु शेखर चौधरी) अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची। E:\Ziyaul\Vinod Sir\Commission order.docx87	